

संपादकीय अफवाहों पर नकेल

इंटरनेट तक सहज पहुंच व मोबाइल क्रांति के बाद सोशल मीडिया में फर्जी खबरों के उफान ने पूरी दुनिया को परेशान किया है। लचाक कानून और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की मनमानी ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। विडंबन यह है कि सोशल मीडिया में संपादक नामक संस्था के न होने से एक किस्म की अराजकता डिजिटल मीडिया की दुनिया में आ गई। इस पर अंकुशालगाने की कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है। अब सिंगापुर की संसद ने फर्जी खबरों को रोकने का कानून पास कर इसे अपराध की श्रेणी में ला दिया है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी खबरों के लिये दोषी पाया जाता है तो कंपनी पर एक मिलियन डॉलर का जुर्माना और दोषी व्यक्ति को दोस दोस तक की सजा हो सकती है। बुधवार को सिंगापुर की संसद में पारित कानून में कानून मंत्री को अधिकार होगा कि वह सोशल मीडिया साइटों पर जड़ी पोस्टों के बाबत घेतावी दे सके। यदि जड़ी पोस्ट सिंगापुर के हितों का अतिक्रमण करती पायी गई तो सरकार कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सिंगापुर की संसद में बहुमत से पारित 'ऑनलाइन फाल्स्फूड एंड मैनीप्युलेशन बिल' को विष्णी दल व मानवाधिकार कार्यकर्ता अभियंति का गला घोंटने का प्रयास बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह कानून विचारों के स्वतंत्र प्रवाह में बाधक बनेगा। कानून के अनुसार ऑनलाइन मीडिया कंपनी को सरकार के अनुसार बतायी गई गलत सूचना को सुधारने व हटाने का मौका दिया जायेगा। वैसे तो मलेशिया दुनिया में ऐसा पहला देश था जहां फर्जी खबरों को रोकने के लिये कानून बनाया गया। लेकिन अगस्त 2018 में महात्मा मोहम्मद की सरकार बनने के बाद कानून वापस ले लिया गया। गाहेबगाहे कई दोषी में इस तरह के कानून बनाने की मांग उठ रही है। दरअसल, इस समस्या से यूरोपीय देश भी खासे परेशान हैं।

जुलाई 2017 में जर्मन सरकार नफरत फैलाने वाली पोस्टों पर रोक लगाने के लिये एक सख्त कानून लेकर आईथी, जिसमें भारी जुर्माने का प्रवाधन भी था। जिसमें उल्लेख था कि यदि गैरकानूनी सामग्री समय रहते नहीं हटायी जाती तो सोशल मीडिया कंपनियों पर पांच करोड़ यूरो तक जुर्माना लगाया जा सकता था। इसके अंतर्गत फैलूक, यूट्यूब व अन्य वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से आपरिजकत कानूनी हटाना अनिवार्य बनाने का प्रवाधन शामिल किया गया। ऐसी पोस्टों का कंपनियों को एक साथ के भीतर मूल्यांकन करना होगा। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे कड़ा कानून है। कानून के क्रियान्वयन में विफल रहने पर कंपनी पर पचास लाख यूरो का जुर्माना लगेगा, जिसे पांच करोड़ यूरो तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लंबे विर्ष्माते के बाद जर्मन संसद द्वारा पारित कानून को लेकर मानवाधिकार संगठन इसे अभियंति की आजादी पर रोक लगाने का प्रयास बताते रहे हैं। दरअसल, यह आम धारणा है कि अपने आर्थिक हितों के संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले सोशल मीडिया ऑपरेटर बिना राजनीतिक दबाव के कोई कदम नहीं उठाते। भारत भी इसी तरह की समस्या से दो-चार है। यहां भी गैरकानूनी और समाज में विवेष फैलाने वाली पोस्ट हटाने में सर्विस ऑपरेटर समय रहते कार्रवाई नहीं करते। जब कोई का दबाव होता है, तभी वे सकियता दिखाते हैं देश में एक समस्या यह भी है कि इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये अलग से कोई सख्त कानून नहीं है। विडंबन यही है कि देश का कानून फैक व्यूज शब्द को परिभ्रामित ही नहीं करता। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पोस्ट करने पर इनकार्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आई.टी. एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है।

कटहल की सब्जी को ऐसे बनाये खादिस्त

सामग्री

कटहल -250 ग्राम
चावल -2 कप
चीनी 1 कप केसर 1 चुट्की
काजू 1 कप
1 चम्चम इलायची पाड़डर
स्वादनुसार नमक
अद्वक्षनुसार तेल



इसमें पानी में भीगे हुए चावल डालें। अब इसमें चुट्कीभर नमक डालें। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर उबाल लें। अब एक कड़ी में तेल गर्म करें। अब इसमें कटहल के उबले बीज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें चीनी और अपकी कटहल की सब्जी बन कर तेवर है इसे गर्मगर्म सर्व करें।

विधि

सबसे पहले

कटहल को काट कर

इसके बीज निकाल

लें। अब एक पैन में

पानी और नमक

डालकर इसके बीज उबाल लें। अब एक

कड़ी में तेल गर्म करें। अब

इसमें कटे हुए काजू डालकर हल्का

सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद

अच्छी तरह मिक्स करें। अब

केसर डालकर कुछ देर पकाएं। अब



मांग सुस्ती से सोना-चांदी में गिरावट

इंदौर (आरएनएस)। सप्ताहांत सोने तथा चांदी में ग्राहकी सुधार लिए रहे इससे हाजिर भाव मजबूती लिए बताए गए। चीते सोना 340 रुपये तथा चांदी के भाव में 45 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ती रही है। कारोबार की शुरुआत में सोना 32480 रुपये पर खुलने के बाद शनिवार को 32820 रुपये प्रति दस हाफ ग्राम तक चढ़ाया गया। चांदी में कारोबार की शुरुआत 37775 रुपये पर हुई वहां अंतिम दिन चांदी में 37820 रुपये प्रति किलो के स्तर पर सोने के लिये अलग सोनी आई है।



लिहाज से पूरी तरह तैयार नहीं हैं। कंपनी की योजना इसलिए मार्च 2020 के अखिल तक भारत की सड़कों पर दस हजार ई-वाहनों (दोपहिया एवं तिपहिया) को प्रति दिन अनुप्रयोग की बढ़ाव देनी है। इन्हें फरवरी 2013 में दिवार पर आईटी सोलोवर्स के पास 50 लाख 14 हजार (5.14) फॉलोवर्स हैं। भारतीय वाहनों में ज्यादा फॉलोवर्स को पीछे छोड़ दिवार पर सबसे ज्यादा फॉलोवर बना लिए हैं। सोशल

(नागपुर) से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिला कि चारपहिया वाहन अभी तैयार नहीं हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे वाहनों के भारत की अड्डों पर आने में कुछ लालोंगा। शाह के मुताबिक कंपनी ने इस विश्वास की नहीं छोड़ा है कि विद्युतीकरण लंबी अवधि में व्यवहारिक है। इं-परिवहन को लेकर कंपनी की योजना साझा करते हुए शाह ने कहा, हम आने वाले लंबे में दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर जरूर दे रहे हैं। नागपुर के अनुभव के बाद हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हमें फिलहाल इन्हें दोनों को प्रयोग करना चाहिए।

1.565 करोड़ टन का कोयला

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय दूरध्वांसी पर आए एक वरिष्ठ अधिकारी को

विद्युती एवं जिला किंगडम संघ प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गये अधिकारी ने इन्हें दिवार पर आदेश के मूलांकिक, प्रीमियर लीग (आईपीएल) के भारतीय रेलवे मैक्निकल पास मांगने के कारण वापस इंजीनियर्स के 1987 बैच के अपने प्रतिवाद भेज दिया है।

गोपाल कृष्ण

गुप्ता

गुप्ता